उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना सफीपुर,जनपद उन्नाव।

दिनाँक 26.02.2023

लड़की के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने वाले प्रेमी व हत्या में शामिल साथी घटना में प्रयुक्त दो कारों के साथ गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एव अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस व स्वाट / सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा सफीपुर में दिनांक 23.02.2023 को मिले लड़की के शव की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त दो कार बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.02.2023 को समय करीब 2:30 बजे थाना सफीपुर क्षेत्रांतर्गत कस्बा परियर में करुणा पांडे की मार्केट के सामने एक लड़की शव मिला था , जिसके संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 52/2023 धारा 364/302/376D IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 26.02.2023 को प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सोनकर, निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार, उ0नि0 अखिलेश कुमार , उ0नि0 सुशील कुमार व मय हमराह फोर्स एवं स्वाट प्रभारी श्री श्याम नरायण सिंह मय हमराह स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. पिन्टू रावत पुत्र लीला रावत निवासी परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष 2. रोहित रावत पुत्र कैलाश रावत निवासी गल्हरापुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को घटना में प्रयुक्त वाहन UP 35 BH 9104 टूरवी व ओमनी UP 78 DS 0171 को बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त पिण्टू उपरोक्त ने पूंछतांछ करने पर बताया कि मेरा मृतका के साथ प्रेम सम्बन्ध था । दिनांक 22.02.2023 को मृतका को व्हाट्सएप से चैट व काल से बात करके मिलने के लिये

बुलाया तो वह बद्रीप्रसाद कालेज के सामने रोड पर आ गयी और मैने उसे अपनी गाड़ी UP 35 BH 9104 टूरवी में बिठा लिया और HP गैस एजेन्सी की तरफ जाने वाले रोड पर एजेन्सी से कुछ आगे सूनसान जगह पर आकर गाड़ी रोक ली और गाड़ी के अन्दर ही मृतका से बात चीत करते हुये शारीरिक सम्बन्ध बनाये तभी मृतका के बड़े पापा का फोन मेरे मोबाइल पर आ गया, जिससे मै डर गया तभी मृतका अपने घर जाने से इन्कार करने लगी और मेरे साथ भाग चलने के लिये दबाव बनाने लगी। तब मैने अपने दोस्त रोहित जो मेरी कार ओमनी UP 78 DS 0171 लिये था को फोन करके बुलाया और करोवन बांध पर हम दोनों मिले एवं मृतका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और तय किया कि जब मृतका गाड़ी से उतरेगी तो उस पर गाड़ी चढाकर उसे मार देगें। परियर बाजार में दीपिका साड़ी सेन्टर के पास मृतका को उतारा और प्लान के मुताबिक जैसे ही वह गाड़ी से उतर कर गाड़ी के सामने से रोड पार करने लगी तो मैने अपनी इसी गाड़ी UP 35 BH 9104 टूरवी का एक्सीलेटर बढा दिया और उसे को जान से मारने के लिये तेजी से टक्कर मार दी एवं रोहित उपरोक्त ने भी अपनी वैन से उसे कुचल दिया। जिसके पश्चात मै और मेरा दोस्त वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. पिन्टू रावत पुत्र लीला रावत निवासी परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

2. रोहित रावत पुत्र कैलाश रावत निवासी गल्हरापुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त वाहन UP 35 BH 9104 टूरवी व ओमनी UP 78 DS 0171

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सोनकर
2.निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार
3.उ0नि0 अखिलेश कुमार
4.उ0नि0 सुशील कुमार

5.हे0का0 चन्द्रप्रकाश तिवारी
6.का0 ओमनारायण
7.का0 देवेश कुमार
8.का0 गौरव राजपूत
9.म0आ0 आशी

स्वाट टीम–

प्रभारी स्वाट टीम श्री श्याम नारायन सिहं (स्वाट टीम)
हे0का0 सत्येन्द्र कुमार (स्वाट टीम)
का0 गौरव (स्वाट टीम)
का0 रवि कुमार (स्वाट टीम)

सर्विलांस टीम

उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना कोतवाली सदर,जनपद उन्नाव।

दिनाँक 26.02.2023

चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एव अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस 315 बोर एवं चोरी का माल बेचने के बाद बचे रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 26.02.2023 को उ0नि0 संदीप कुमार मिश्रा मय हमराह उ0नि0 श्री इरशाद अली व उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिहं, हे0का0 प्रशान्त मिश्रा व का0 नरेन्द्र यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मैनीखेड़ा क्रासिंग के पास से अभियुक्तगण 1. अर्जुन पुत्र सूर्यपाल निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 33 वर्ष 2. पप्पू रैदास पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी ग्राम अकरमपुर थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को कब्जे से मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 नम्बर यू0पी0 35 AF5742 एक अदद तमन्चा 315 बोर देशी मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 1020 रु0 नकद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों के पास से जो रूपया बरामद हुआ है वह हम दोनों ने लगभग एक महीने पहले पश्चिमखेड़ा से एक घर के सामने खड़े एक ई -रिक्शा को रात में चोरी किया था हम दोनों ने ई -रिक्शा की बैटरी निकाल कर राह चलते कबाड़ी वाले को बेच दिया था,जो रूपया हम दोनों के पास से मिला है वह उसी ई - रिक्शा की बैटरी को बेचने में मिले हिस्से का पैसा है तथा बरामद मोटर साइकिल हम दोनों ने मिलकर लगभग 2 दिन पहले A.C.I. फैक्ट्री के सामने से चोरी किया था जिसको आज हम लोग बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया । बरामद मोटरसाइकिल के संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर

मु0अ0सं0 136/2023 धारा 379/411 भादिव व ई रिक्शा चोरी की बैटरी चोरी के संदर्भ में मु0अ0सं0 060/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत है तथा अवैध तमंचा बरामदगी के संदर्भ में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 140/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अर्जुन पुत्र सूर्यपाल निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 33 वर्ष
2. पप्पू रैदास पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी ग्राम अकरमपुर थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण

मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 नम्बर यू0पी0 35 AF5742 एक अदद तमन्चा 315 बोर देशी मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 1020 रु0 नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम–

उ0नि0 संदीप कुमार मिश्रा
उ0नि0 श्री इरशाद अली
उ0नि0 श्री इन्द्रपाल सिहं
हे0का0 प्रशान्त मिश्रा
का0 नरेन्द्र यादव

उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना बेहटा मुजावर,जनपद उन्नाव।

दिनाँक 26.02.2023

गैर इरादतन हत्या के वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त तब्बल बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एव अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या में वांछित दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त एक अदद तब्बल बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.02.2023 को वादिनी मुकदमा कु0 राजवी पुत्री उलफत नि0 अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना कि उसके पिता उलफत को गांव के ही सलमान व चाँद बाबू द्वारा तब्बल से वार करके गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि बनाम 1.सलमान, 2. चाँदबाबू पुत्रगण शौकत नि0गण अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव के पंजीकृत किया गया। मजरूब उलफत की इलाज के दौरान हैलट अस्पताल में मृत्यु हो गयी। वादिनी मुकदमा द्वारा इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी, सूचना के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 304 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा घटना में प्रयुक्त आला चोट तब्बल की बरामदगी के आधार पर अभियोग को धारा 304/323/504/506/201 भादवि पर लाया गया। आज दिनांक 26.02.2023 को थानाध्यक्ष श्री रमेश चन्द व उ0नि0 श्री फूलचन्द सरोज मय हमराह फोर्स द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र शौकत नि0 अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटामुजावर उन्नाव

2.चाँदबाबू पुत्र शौकत नि0 अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटामुजावर उन्नाव को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सलमान पुत्र शौकत नि0 अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटामुजावर उन्नाव
2. चाँदबाबू पुत्र शौकत नि0 अमीरपुर गम्भीरपुर थाना बेहटामुजावर उन्नाव

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त आलाचोट एक अदद तब्बल

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. थानाध्यक्ष रमेश चन्द
2. उ0नि0 फूल चन्द्र सरोज
3. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
4. का0 अजय कुमार

उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना बीघापुर,जनपद उन्नाव।

दिनाँक 26.02.2023

अवैध तमंचा मय दो जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एव अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 26.02.2023 को उ0नि0 श्री अबू मो0 कासिम व उ0नि0 श्री हसमत अली मय हमराह फोर्स द्वारा थाना स्थानीय के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धरमू पुत्र स्व0 मुनेश्वर नि0 ग्राम ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 36 वर्ष, जिसका HS नंबर 49ए है, के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद कर नहर पुलिया से 40 मीटर आगे मर्दनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धरमू पुत्र स्व0 मुनेश्वर नि0 ग्राम ओसिया थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 268/17 धारा 394/411 IPC थाना बीघापुर
2. मु0अ0सं0 270/17 धारा 401 IPC थाना बीघापुर
3. मु0अ0सं0 331/17 धारा 3(1) गैंगेस्टर एख्ट थाना बीघापुर
4. मु0अ0सं0 26/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीघापुर

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1.उ0नि0 श्री अबू मो0 कासिम थाना बीघापुर उन्नाव
2.उ0नि0 श्री हसमत अली थाना बीघापुर उन्नाव
3.का0 संजय यादव 1 थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
4.का0 संजय यादव 2 थाना बीघापुर उन्नाव

उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य
थाना मौरावां,जनपद उन्नाव।

दिनाँक 26.02.2023

130 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ तीन अभियुक्ता गिरफ्तार, 10 कुंटल लहन नष्ट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा तीन अभियुक्ताओं को 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा 10 कुंटल लहन नष्ट किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 26.02.2023 को थाना मौरावां पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान के दौरान थाना मौरावां क्षेत्र के अलग अलग स्थान (हडहरा तिराहा, ग्राम विशम्भर खेडा, अमिरवन खेडा) से 03 महिला अभियुक्ता को अवैध देशी शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण करते हुए गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार 1. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 60 बनाम भानुमती पत्नी टुन्नी नि0 जनवारन खेडा मजरा लउवा थाना मौरावा, उन्नाव, 2. मु0अ0सं0 76/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम रामावती पत्नी राम गोपाल नि0 विशम्भर खेडा मजरा सरायमुबारक थाना मौरावां, उन्नाव 3. मु0अ0सं0 77/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सुनीता पत्नी राम बाबू नि0 ग्राम हडहरा मजरा लउवा थाना मौरावां, उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण-

1.भानुमति पत्नी टुन्नी नि0 जनवारन खेडा मजरा लउवा थाना मौरावा, उन्नाव

2.रामावती पत्नी राम गोपाल नि0 विशम्भर खेडा मजरा सरायमुबारक थाना मौरावां, उन्नाव

3.सुनीता पत्नी राम बाबू नि0 ग्राम हडहरा मजरा लउवा थाना मौरावां, उन्नाव

बरामदगी का विवरण

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तागण उपरोक्त के कब्जे से कुल 130 लीटर कच्ची अवैध शराब तथा शऱाब बनाने के उपकरण बरामद हुए तथा 10 कुन्तल लहन नष्ट किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1.उ0नि0 श्री मोर मुकुट पाण्डेय
2.उ0नि0 श्री कमलेश प्रसाद तिवारी
3.उ0नि0 श्री दीप चन्द्र प्रसाद
4.उ0नि0 श्री जफर आलम
5.हेड का0 उदय सिंह
6.हेड का0 जोखमणि यादव
7.हेड का0 अशोक यादव
8.का0 संदीप गुप्ता प्रथम
9.का0 रोहताश
10.म0का0 वन्दना यादव
11.म0का0 राज नन्दनी
12.म0का0 प्रगति शर्मा

आबकारी टीम

1.हे0का0 आबकारी राम प्रकाश दीक्षित